सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 18 राँची, बुधवार, 21 जनवरी, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

15 जनवरी, 2026

संख्या - 07/हो०गा० (स्था०) - 08/2025-227--Cont. Case (Civil) No-696/2025 (Arising out of W.P.(S) No-7402/2023) निहारिका रानी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2021 (विज्ञापन सं०-01/2021) के तहत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6659 दिनांक-17.11. 2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (राजपत्रित) सेवा अंतर्गत मूल कोटि के वेतनमान (PB-II, रू० 9,300-34,800 /- ग्रेड पे-5400, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मेट्रिक्स लेबल-9) में इन्ट्री वेतन पर एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में एक वर्षीय आधारभूत प्रशिक्षण सहित अन्य सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु (विभागीय अधिसूचना संख्या-3848 दिनांक-09.08.2016 द्वारा अधिसूचित गृह रक्षक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016 के अध्याय-6, कंडिका-23 के आलोक में) योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
01	52096498	Niharika Rani	13.02.2000	Vill- Khairbani, PO- Khairbani, P.S-Masaliya, District- Dumka, Pin-814146.

(क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से 02 वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेघधा क्रमांक नहीं है ।

(ग) नव नियुक्त पदाधिकारी को झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में दिनांक-27.01.2026 के पूर्वाह्न में अनिवार्य रूप से योगदान देना है ।

(घ) समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर इनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है ।

(ङ) यदि प्रमाण-पत्रों में आंशिक विसंगतियां हैं, उस स्थिति में इनकी नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियों का संतोषजनक निराकरण एक माह में नहीं होने पर इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है ।

(च) योगदान देते समय कार्मिक विभाग की संकल्प सं०-1919, दिनांक 28.01.1976 द्वारा दहेज न लेने/देने संबंधी घोषणा-पत्र एवं अधिसूचना सं०-5437, दिनांक 09.09.2010 तथा अधिसूचना सं०-9519, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल संपति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

(छः) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(ज) योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(झ) नियुक्ति विभाग, राज्य सरकार के पत्रांक-5817, दिनांक-03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त क जा सकती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 18 - 50